

31/126

पत्रावली पेश की जाऊँगा। डाक का 07 211 CPD फील्ड
लिफा जाकर डाक का / ही अर्थ ब्यापित लिफा जाता
है। निश्चित निर्णय हदक से लेखना जाकर शामिल
पत्रावली लिफा गता। पत्रावली केवल शुभ होकर
नेवर के कम मीकर दामिक दक्षि ही धादेश हुनामा
गता।

GAN
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:-28 / 25

तारीख रजु:-12.6.2025

उनवान

1. बहादुरसिंह आयु 48 साल
 2. बलवीर सिंह आयु 51 साल
 3. जगजीत सिंह आयु 54 साल
- पुत्रान स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि.
भीकमपुरा तहसील व जिला करौली

-सायलान

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह उर्फ मुन्ना आयु 35 साल जाति राजपूत निवासी
भीकमपुरा तहसील व जिला करौली

-गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर टी एक्ट
में

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

-::निर्णय::-

दिनांक:- 5/1/26

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गैरसायल द्वारा यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि सायल ने यह प्रार्थना-पत्र वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1558 व 1587/1824 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भीकमपुरा तहसील करौली का घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायल के विरुद्ध फर्जी व कूटरचित तथा कथित इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 के आधार पर पेश किया है। जिसके आधार पर वादीगण अप्रार्थी को भूमि में कोई खातेदारी अधिकारी कानूनन प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थना-पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं है और क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खाजिर किये जाने योग्य है। कब्जा भूमि पर गैरसायल नंबर 1 का दिनांक 15.12.1975 वक्त खरीद पितामह निहालसिंह पुत्र छोटू सिंह राजपूत निवासी भीकमपुरा के समय से है। सायलान ने प्रार्थना-पत्र में भीमसिंह पुत्र भौमसिंह को 10-12 वर्षों से लापता होना बताया है। कानूनन सिविल डेथ की घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय करौली को प्राप्त है। इस प्रकार सायलान द्वारा चाही गई दादरसी व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र टीआई सायलान

2/1
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

क्षेत्राधिकार से बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी सायल द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। सायल प्रार्थना-पत्र टीआई गैरसायलान नंबर 2 लगायत 8 खातेदारान के विरुद्ध संस्थित किया गया है। जिनकी दावे/दर0 में तलबी होकर जबाव टी आई आना वाकी समस्त पक्षकारान की तलबी व जबावदेई रिकॉर्ड पर आने के पश्चात प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। गैरसायल नंबर 1 का प्रार्थना-पत्र प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी का वाद धारा 63 आर टी एक्ट व 92 ए आर टी एक्ट के उपर आधारित है। धारा 63 (3) आर टी एक्ट के तहत यह प्रावधान वर्णित किया गया है कि जहां किसी खातेदार को अधिकार व कब्जे से वंचित कर दिया गया है और उसका कब्जा प्राप्त करने की म्याद समाप्त हो चुकी है। ऐसी अवस्था में टीनेन्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जावेंगे। इस प्रकरण में भी वादी का विवादित भूमि पर कब्जा वर्ष 1977-78 से होने के कारण दावा दायरी से पूर्व लगभग 45-46 वर्ष का होने के कारण गैरसायल नंबर 2 ता 8 के सायल से कब्जा प्राप्त करने की म्याद 12 वर्ष निकलने के कारण व सायल से मुताबिक म्याद अधिनियम बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। सायल को खातेदार अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उदभूत होने के कारण दावा व टी आई चलने योग्य नहीं है। इसके लिए वादी धारा 92 ए के तहत टी आई पेश कर घोषणात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। लापता होने का कथन दर्ज किया है। जिस बाबत कानून में किसी व्यक्ति के बारे में विगत 7 वर्षों जिनदा व मृत होने की ना सुनने पर उसके मृत होने की उपधारणा करने का प्रावधान है। जिसका वर्णित किया गया है। जिसकी कोई घोषणा न्यायालय हाजा से नहीं चाही गई है। अंत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 रूल 11 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना-पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना-पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सायल ने यह टी आई वादग्रस्त आराजीया खसरा नंबर 1558 व 1587/1824 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भीकमपुरा तहसील करौली का घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायल के विरुद्ध फर्जी व कूटरचित तथा कथित इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 के आधार पर पेश किया है। जिसके आधार पर सायल अप्रार्थी को भूमि में कोई खातेदारी अधिकारी कानूनन प्राप्त नहीं होते हैं। टी आई न्यायालय हाजा के क्षेत्राकार का नहीं है और क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी

उपखण्ड अधिकारी
नैनी (समूह)

स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। कब्जा भूमि पर गैरसायल नंबर 1 का दिनांक 15.12.1975 वक्त खरीद पितामह निहालसिंह पुत्र छोटू सिंह राजपूत निवासी भीकमपुरा के समय से है। सायल ने टी आई में भीमसिंह पुत्र भौमसिंह को 10-12 वर्षों से लापता होना बताया है। कानूनन सिविल डेथ की घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय करौली को प्राप्त है। इस प्रकार सायल द्वारा चाही गई दादरसी व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से टी आई सायल क्षेत्राधिकार से बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर टी आई सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान गैरसायल का बहस में कथन है कि सायल टी आई गैरसायल नंबर 2 लगायत 8 खातेदारान के विरुद्ध संस्थित किया गया है। जिनकी टी आई में तलबी होकर जबाव टी आई आना बाकी समस्त पक्षकारान की तलबी व जबावदेई रिकॉर्ड पर आने के पश्चात प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। गैरसायल नंबर 1 का प्रार्थना-पत्र प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज होने योग्य है। सायल का टी आई धारा 63 आर टी एक्ट व 92 ए आर टी एक्ट के उपर आधारित है। धारा 63 (3) आर टी एक्ट के तहत यह प्रावधान वर्णित किया गया है कि जहां किसी खातेदार को अधिकार व कब्जे से वंचित कर दिया गया है और उसका कब्जा प्राप्त करने की म्याद समाप्त हो चुकी है। ऐसी अवस्था में टीनेन्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जावेंगे। इस प्रकरण में भी सायल का विवादित भूमि पर कब्जा वर्ष 1977-78 से होने के कारण दावा दायरी से पूर्व लगभग 45-46 वर्ष का होने के कारण गैरसायल नंबर 2 ता 8 के वादी से कब्जा प्राप्त करने की म्याद 12 वर्ष निकलने के कारण व सायल से मुताबिक म्याद अधिनियम बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। सायल को खातेदार अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उदभूत होने के कारण सायल व टी आई चलने योग्य नहीं है। इसके लिए वादी धारा 92 ए के तहत टी आई पेश कर घोषणात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। लापता होने का कथन दर्ज किया है। जिस बाबत कानून में किसी व्यक्ति के बारे में विगत 7 वर्षों जिन्दा व मृत होने की ना सुनने पर उसके मृत होने की उपधारणा करने का प्रावधान है। जिसका वर्णित किया गया है। जिसकी कोई घोषणा न्यायालय हाजा


9/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

से नहीं चाही गई है। अंत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 रूल 11 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सायल द्वारा यह टी आई इकरारनामा दिनांक 27.09.88 के आधार पर घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें सायल ने वादग्रस्त आराजी की खातेदारी सायल के नाम घोषित करने एवं गैरसायल को भूमि के कब्जेकाशत में व्यवधान नहीं करने की दादरसी चाही है। सायल का गैरसायल मात्र इकरारनामा दिनांक 27.09.88 पर आधारित है। जो अनरजिस्टर्ड है। विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय को घोषणा का वाद धारा 207 आर टी एक्ट के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी गैरसायल द्वारा आरआरडी 1992 पेज 414 एवं आरआरडी 1984 पेज 230 एवं आरआरडी 1984 पेज 227 पेश किये हैं। जिनमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर धारा 88, 188 का सायल न्यायालय हाजा राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि यह अधिकार धारा 207 आर टी एक्ट के तहत केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार टी आई सायल क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 207 आर टी एक्ट के तहत इसी स्तर पर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयान गैरसायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयान/गैरसायल आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। टी आई गैरसायल क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 रूल 11 सीपीसी व धारा 207 आर टी एक्ट के तहत खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (करौली)